पत्रकारों और नागरिकों के स्कूल प्रवेश पर रोक का फरमान!

डिंडौरी बीईओ के विवादित संदेश से मचा बवाल

संकुल ग्रुप में जारी निर्देश पर उठे सवाल

पारदर्शिता और जवाबदेही पर खड़े हुए गंभीर प्रश्न

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)।

जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों की बदहाल स्थिति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। इस बार वजह स्कूलों की जर्जर व्यवस्था नहीं, बल्कि डिंडौरी में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सतीश धुर्वे द्वारा संकुल समूह में जारी किया गया एक कथित विवादित संदेश है। इस संदेश में कथित तौर पर पत्रकारों एवं अन्य नागरिकों को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद आमजन, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है।

जिले में लंबे समय से जनजाति कार्य विभाग के कई विद्यालय मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। कहीं स्कूल भवन ही नहीं हैं तो कहीं जर्जर भवनों में बच्चों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कई विद्यालयों में रंगमंच, किचन शेड अथवा अस्थायी कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों की अनुपस्थिति, समय पर स्कूल नहीं पहुंचना और शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही जैसे मामले भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

इसी बीच बीईओ द्वारा जारी कथित निर्देश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि संकुल स्तर के व्हाट्सएप समूह में

भेजे गए संदेश में पत्रकारों और अन्य नागरिकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। यह संदेश सामने आने के बाद लोगों ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के विपरीत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है।

जागरूक नागरिकों का कहना है कि विद्यालय केवल सरकारी भवन नहीं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण के केंद्र हैं। ऐसे में विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, व्यवस्थाओं और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर अभिभावकों एवं समाज की निगरानी स्वाभाविक और आवश्यक है। उनका आरोप है कि यदि विद्यालयों में सब कुछ नियमानुसार संचालित हो रहा है तो पत्रकारों और नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। लोगों का यह भी कहना है कि शासन स्वयं अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से करता है तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की बात कहता है। ऐसे में यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी पत्रकारों और आम नागरिकों को विद्यालयों से दूर रखने के निर्देश देता है तो यह शासन की मंशा के विपरीत माना जाएगा।

बीईओ द्वारा संकुल स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित संदेश

समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त बी आर सी एवं समस्त संस्था प्रमुख कृपया ध्यान दें! किसी भी पत्रकार या किसी भी व्यक्ति को स्कूल के अंदर न आने दें किसी को भी फोटो या वीडियो न बनाने दे और न विद्यालय से संबंधित न्यूज दें। यदि किसी भी विद्यालय की जानकारी फोटो या वीडियो वाइरल होता है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी को भी बेवजह कहीं भी कैमरा लेकर न तो वीडियो बनाने दें, न ही कोई बाईट दें। और न ही ऐसी नौबत आने दें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हैं तो संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होगा।

मासूमों के पोषण से खिलवाड़, आँगनबाड़ी में भोजन और जांच को लेकर मचा बवाल

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)।

जिले के जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पड़रिया खुर्द के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गांव के आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से निर्धारित समय के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे हैं। शिकायत के अनुसार करीब 15 से 20 दिनों तक बच्चों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं, जब भोजन दिया गया तो शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुरूप

पोषण आहार उपलब्ध कराने के बजाय कई दिनों तक केवल सूखे आम के टुकड़े डालकर निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

आवेदन पत्र ग्रामीणों ने बताया कि इन अनियमितताओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्थानीय एवं जिला स्तरीय समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से मामला उजागर किया था। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जांच कराई गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच निष्पक्ष नहीं रही। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान वास्तविक हितग्राहियों एवं ग्रामीणों से जानकारी लेने के बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों और परिचितों के बयान दर्ज कराए गए तथा उन्हीं से हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए।

ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, बच्चों को शासन के निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए, वास्तविक हितग्राहियों एवं ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जाएं तथा पूर्व में हुई जांच की समीक्षा कर दोषी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का हुआ सम्मान

शहडोल (स्वतंत्र मत)।

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वंडर विंग स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुरेंद्र मिश्रा शिक्षा एवं साक्षरता संस्थान की अध्यक्ष आशा मिश्रा, वंडर विंग स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र मिश्रा तथा सरस्वती स्कूल, ब्यौहारी के भूतपूर्व प्राचार्य सुदेश कुमार पयासी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के अभिभावकों ने सभी शिक्षकों का पुष्पगुच्छ एवं सम्मान-पत्र भेंट कर अभिनंदन किया।

इस अवसर पर शिक्षकों के समर्पण, उत्कृष्ट कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की गई। मुख्य अतिथियों ने कहा कि गुरु समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है।

कार्यक्रम के दौरान गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। शिक्षकों ने सम्मान के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

दिनभर तलाशने के बाद कुएं में मिला मासूम का शव, डूंगरिया में पसरा मातम

घर से हुई थी लापता, रातभर चला खोज अभियान, दूसरे दिन खेत के कुएं से मिला शव

डिंडौरी (स्वतंत्र मत)।

समनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डूंगरिया में ढाई वर्षीय मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में डूबने से मौत हो जाने का हृदयविदारक मामला सामने आया है। बुधवार सुबह घर से लापता हुई मासूम की तलाश में परिजन, ग्रामीण और पुलिस दिनभर तथा देर रात तक जुटे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार को दोबारा शुरू किए गए खोज अभियान के दौरान घर के पीछे खेत में स्थित एक कुएं से बच्ची का शव बरामद होने पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार, डूंगरिया निवासी रमेश एवं पार्वती की ढाई वर्षीय पुत्री सौम्या बुधवार सुबह करीब 10 बजे अचानक घर

से लापता हो गई थी। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर समनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से देर रात तक बच्ची की तलाश करती रही।

गुरुवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने एक बार फिर खोज अभियान शुरू किया। इस दौरान घर के पीछे खेत में बने कुएं की तलाशी लेने पर दोपहर करीब एक बजे पानी में एक शव दिखाई दिया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान लापता मासूम सौम्या के रूप में हुई। मासूम का शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव में मातम छा गया। समनापुर पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समनापुर भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

इस दर्दनाक घटना के बाद डूंगरिया गांव में गहरा शोक व्याप्त है। ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए छोटे बच्चों की सुरक्षा और उन पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालु अयोध्या काशी के लिए रवाना

शहडोल (स्वतंत्र मत)।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को पांच दिवसीय धार्मिक यात्रा पर अयोध्या एवं वाराणसी (काशी) के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या तथा भगवान शिव की नगरी काशी विश्वनाथ के दर्शन एवं पूजन करेंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित एवं सुविधाजनक रहे। इस तीर्थ यात्रा में सुरेंद्र द्विवेदी, कमल द्विवेदी, कांति द्विवेदी एवं नरेंद्र कुमार द्विवेदी सहित जिले के अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों एवं पात्र लोगों को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

1 से 10 अगस्त तक सघन वाहन जांच, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म पर होगी कार्यवाही

शहडोल (स्वतंत्रमत)।

पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में निजी वाहनों मे अनाधिकृत हूटर, फ्लैस लाईट (लाल, नीली, पीली, सफेद बत्ती), सरकारी स्टीकर जैसे म.प्र. शासन, भारत सरकार, व्हीआईपी आदि, ब्लैक फिल्म एवं नियम विरूद्ध नंबर प्लेट बिना एचएसआरपी, गलत अमानक नंबर प्लेट का प्रयोग करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 1 अगस्त से 10 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, वीआईपी संस्कृति पर नियंत्रण स्थापित करना तथा आमजन में कानून के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन की भावना विकसित करना है। विशेष अभियान के दौरान जिले के समस्त थाना क्षेत्रों एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सघन वाहन जांच की जाएगी। जांच के दौरान निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगाए गए हूटर एवं सायरन, नियमों के विपरीत लगी लाल, नीली अथवा अन्य फ्लैश लाइट, निजी वाहनों पर अनाधिकृत शासकीय विभाग, पुलिस, प्रेस, न्यायालय, भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन अथवा अन्य किसी प्रकार के भ्रामक स्टीकर, मोनोग्राम एवं प्रतीक चिन्ह, वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों के विपरीत लगी ब्लैक फिल्म, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट, डिजाइनर नंबर प्लेट, अपठनीय अथवा नियम विरुद्ध अंकन, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार चालानी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर अनाधिकृत उपकरण एवं सामग्री भी हटाई जाएगी।

अधूरे कार्यों का संयुक्त निरीक्षण

मण्डला (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती सोनल सिडाम के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद एमपीयूडीसी तथा निर्माण एजेंसी के अधिकारियों द्वारा शहर में संचालित सीवरेज परियोजना के विभिन्न कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे गुणवत्ता-विहीन एवं अधूरे कार्यों की जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से दुर्गा मंदिर चौक के आसपास सड़क रिस्टोरेशन एवं हाउस सर्विस कनेक्शन कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया गया निरीक्षण के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने नगर पालिका के उपयंत्री को सभी लंबित एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का चिन्हांकन कर एमपीयूडीसी को सूची भेजने के निर्देश दिए।

जागरूक युवा ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत समापन कार्यक्रम किया गया आयोजित

शहडोल (स्वतंत्र मत)।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चौपाल इत्यादि जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इसी कड़ी में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाण्डव नगर शहडोल में गुरूवार को समापन कार्यक्रम में हस्ताक्षर बोर्ड में

पुलिस महानिरीक्षक रेंज एन. चौत्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियो, शिक्षक एवं विद्यार्थियो ने नशामुक्ति का संकल्प अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर समाज में नशे के विरुद्ध जनभागीदारी एवं सामूहिक प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश दिया गया। समापन कार्यक्रम को सम्बोंधित करते हुए पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि नशा व्यक्ति की प्रतिभा, परिवार की खुशियों और समाज के भविष्य को नष्ट करता है।

युवाओं को अपने सपनों, शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को सर्वोपरि रखते हुए नशे से सदैव दूर रहना चाहिए। एक जागरूक युवा ही सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान, उप पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र मोहन दुबे सहित अन्य अधिकारी , शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहें।

डेयरियों एवं दूध विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 12 नमूने जांच के लिए भेजे गए

शहडोल (स्वतंत्रमत)। खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मिल्क कलेक्शन सेंटर, डेयरियों एवं दूध विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य लाइसेंस की जांच की जा रही है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जनार्दन डेयरी, राजघराना रेस्टोरेंट, कामधेनु डेयरी, अन्नपूर्णा डेयरी एवं सिमरा स्थित गौनिधि डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूध, दही एवं पनीर के 12 नमूने संग्रहित कर गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों तथा खाद्य लाइसेंस की भी जांच की गई। संबंधित संचालकों को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार के निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मां का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार : सीएमएचओ

1 से 7 अगस्त तक जिले में मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह

शहडोल (स्वतंत्रमत)।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा उनके परिवारजनों को स्तनपान के महत्व एवं इसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) अवश्य पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शिशु को विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर पहले छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस अवधि में पानी, शहद, घुट्टी अथवा अन्य किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। छह माह की आयु पूर्ण होने के बाद स्तनपान के साथ उपयुक्त पूरक आहार प्रारंभ किया जाना चाहिए तथा स्तनपान को दो वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। सीएमएचओ ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान सभी लोग स्तनपान के महत्व को समझें तथा यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद मां का पहला दूध मिले और जीवन के प्रारंभिक छह माह तक उसे केवल मां का दूध ही उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शिशु और स्वस्थ समाज के निर्माण में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नशे से दूरी अभियान का समापन

मण्डला (स्वतंत्र मत)। 35वीं भारत रक्षित वाहिनी विसबल में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सेनानी राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे के प्रति विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के समापन अवसर पर 30 जुलाई को 35वीं भारत रक्षित वाहिनी विसबल ग्वारा में समापन समारोह रखा गया। इस गरिमामय अवसर पर सरपंच सीताराम सैयाम ग्राम पंचायत ढ़ेकों, सरपंच उमाकांत मरावी ग्राम पंचायत बाजा, पंच पुरूषोत्तम वरकड़े ग्राम पंचायत ग्वारा एवं इकाई से उपसेनानी इन्द्रसिंह परस्ते, सहायक सेनानी सत्यपाल सिंह बघेल, सहायक सेनानी श्रीमति रूचिता चतुर्वेदी, निरीक्षक देवेन्द्र तेकाम, हेमन्त रामटेके, उपनिरीक्षक युगलकिशोर प्रजापति, बीरन सिंह सल्लाम, दिलीप नागेश, अनुपम कुटार, रामचरण मसराम, प्रताप सिंह नेटी, मनीराम पूषाम एवं इकाई से समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला-शहडोल म.प्र.

क्रमांक/न.पा./भण्डार/2026-27/616 धनपुरी दिनांक 31/07/2026

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक एवं टेण्डर आईडी	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	361-DATE-23-07-2026 2026_UAD_523961_1	SUPPLY OF 02 NOS TRACTOR (45HP) AND 2 NOS. LOADER FOR N.P. DHANPURI.	15 दिवस 23.00 लाख	5000/- एवं 17250/-	25.8.2026 5.30 PM

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद धनपुरी, जिला शहडोल म.प्र.

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का भव्य समापन 502 कार्यक्रमों से जिले में जागरूकता की नई मिसाल

सिवनी। स्वतंत्र मत। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जनजागरूकता अभियान का भव्य समापन समारोह गुरुवार को पी.एम. एक्सलेंस शासकीय पीजी कॉलेज, सिवनी के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस, प्रशासन, शिक्षा जगत, सामाजिक संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी एवं अध्यक्षता कर रहे डॉ. रविकांत नाग ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, ब्रह्मकुमारी संस्था से नीतू दीदी, जिला खेल अधिकारी श्रीमती मनु धुर्वे, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महेश गौतम, जनभागीदारी समिति के निवर्तमान

अध्यक्ष अजय पांडेय, एसडीओपी नम्रता सोंधिया, अपूर्व भलावी, आशीष भराड़े तथा सीएसपी चंचलेश मरकाम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रभारी निरीक्षक ओमेश्वर ठाकरे एवं साइबर सेल प्रभारी एएसआई देवेंद्र जायसवाल ने किया।

कार्यक्रम में माउंट लिटरा स्कूल के विद्यार्थियों ने मनमोहक शास्त्रीय नृत्य एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि श्रीमती हनी मनोज गुप्ता ने अपने मधुर स्वर में

वंदे मातरम् की प्रस्तुति देकर माहौल को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने अपने संबोधन में कहा कि नशे से दूरी है जरूरी केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवनशैली बननी चाहिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर सिवनी पुलिस द्वारा तैयार विशेष जनजागरूकता गीत ओ भैया, नशे से दूरी है जरूरी का भी विमोचन किया गया, जिसमें अभियान की प्रमुख गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया।

अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, 250 खिलाड़ियों, 30 खेल प्रशिक्षकों, 150 छात्र-छात्राओं तथा 70 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को उत्कृष्ट सहभागिता के लिए सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक चले इस अभियान के दौरान जिलेभर में 502 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, स्कूल एवं उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम रक्षा समितियों, पुलिस विभाग तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अभियान के प्रचार-प्रसार में प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर एवं डिजिटल क्रिएटर्स का भी अहम योगदान रहा। सिवनी पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान से संबंधित पोस्ट एवं वीडियो को 15.80 लाख से अधिक व्यूज प्राप्त हुए, जो जनजागरूकता अभियान की व्यापक सफलता का प्रमाण है।

संजय सरोवर (भीमगढ़ बांध) के दो गेट खुले, 9,340 क्यूसेक पानी छोड़ा गया; भंडारा-गोंदिया के लिए अलर्ट

सिवनी। स्वतंत्र मत। जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नालों में उफान की स्थिति बनी हुई है। जलग्रहण क्षेत्रों से लगातार बढ़ रही पानी की आवक के कारण संजय सरोवर परियोजना (भीमगढ़ बांध) का जलस्तर बढ़कर 516.85 मीटर तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट क्रमांक 5 एवं 6 को एक-एक मीटर की ऊंचाई तक खोल दिया गया है। इन दोनों गेटों से लगभग 9,340 क्यूसेक (265 क्यूमेक्स) पानी बैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के कारण जलग्रहण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी बांध में पहुंच रहा है, जिससे जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने बैनगंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के भंडारा एवं गोंदिया जिलों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

प्रशासन की अपील

नदी-नालों और बैनगंगा नदी के किनारे जाने से बचें। मछली पकड़ने, स्नान करने या पुल-पुलियों पर अनावश्यक आवाजाही न करें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

स्कूल बसों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

सिवनी। स्वतंत्र मत। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में बुधवार 29 जुलाई को सिवनी-केवलारी एवं ऊगली मार्ग पर व्यापक जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूला गया तथा एक स्कूल वाहन जब्त किया गया।

जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 22 जेटबी 9926 बिना परमिट संचालित पाए जाने पर 10 हजार रुपये, वाहन क्रमांक एमपी 22 पी 0212 बिना परमिट एवं फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने पर 11 हजार रुपये तथा वाहन क्रमांक एमपी 22 जेटबी 9121 बिना फिटनेस के संचालन पर 5 हजार रुपये का समन शुल्क आरोपित किया गया। इसके अलावा अन्य तीन वाहनों से 7 हजार 300 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। वहीं, कान्हीवाड़ा में संचालित स्कूल वाहन क्रमांक एमपी 22 पी 0398 के मूल स्वरूप में अनधिकृत परिवर्तन पाए जाने पर उसे जब्त कर थाना कान्हीवाड़ा में सुरक्षित खड़ा कराया गया।

जांच अभियान के दौरान समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गई कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

बसों में स्पीड गवर्नर, वैध बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, मोटरयान कर भुगतान, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र तथा चालक के पास वैध हेवी वाहन लाइसेंस एवं निर्धारित गणवेश होना आवश्यक है। साथ ही स्कूल वाहनों में निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जाए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जांच के दौरान इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घंसौर अस्पताल में 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद शव सड़क पर रखकर चक्काजाम, एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर परिजनों का प्रदर्शन

स्वतंत्र मत। घंसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने युवक का शव मंडला-लखनादौन स्टेट हाईवे पर रखकर चक्काजाम कर दिया। इसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मृतक के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वे गंभीर हालत में युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब किसी डॉक्टर ने उसका उपचार नहीं किया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकीय उपचार के बजाय अस्पताल के एक चपरासी

द्वारा युवक का उपचार किया गया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

परिजनों का यह भी आरोप है कि युवक की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर तो कर दिया गया, लेकिन अस्पताल की एम्बुलेंस लंबे समय से खराब होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी। उनका कहना है कि उन्होंने लगभग चार घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन वाहन नहीं पहुंचा। उनका दावा है कि समय पर एम्बुलेंस और उचित उपचार मिल जाता तो युवक की जान बच सकती थी।

घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच तथा बीएमओ भारती सोनकेशरिया को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और मरीजों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, पूरा राजस्व अमला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नम्रता सिंधिया सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे।

प्रदर्शनकारी लगातार कलेक्टर नेहा मीना को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कलेक्टर स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देतीं, तब तक चक्काजाम समाप्त नहीं किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक अस्पताल प्रबंधन और बीएमओ की ओर से परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दी गई जानकारी

सिवनी। स्वतंत्र मत। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलमणी अग्निहोत्री की अध्यक्षता में नगरीय निकाय निर्वाचन-2026 के अंतर्गत स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की जानकारी प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि जिले के पांचों नगरीय निकायों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके अनुसार जिले में कुल 84 वार्ड, 201 मतदान केंद्र तथा 1,37,397 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 68,259 पुरुष, 69,130 महिला एवं 8 अन्य मतदाता शामिल हैं। नगरीय निकायवार मतदाताओं की जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद सिवनी में 80,375, नगर परिषद बरघाट में 9,670, नगर परिषद छपारा में 16,215, नगर परिषद केवलारी में 17,414 तथा नगर परिषद लखनादौन में 13,723 मतदाता पंजीकृत हैं। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय पी.जी. कॉलेज में शैलेन्द्र जैन का सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त समारोह

सिवनी। स्वतंत्र मत। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय पी.जी. कॉलेज सिवनी में कार्यरत शैलेन्द्र जैन, प्रयोगशाला तकनीशियन, 41 वर्षों की दीर्घ एवं उत्कृष्ट शासकीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए। आपने भौतिक शास्त्र विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्य करते हुए अपनी सेवाएँ अत्यंत निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ प्रदान कीं। विभागीय कार्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणादायी रही। महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ के साथ आपका सौहार्दपूर्ण एवं

सहयोगात्मक व्यवहार रहा, जिसके कारण सभी के साथ आपका उत्कृष्ट तालमेल बना रहा। छात्र-छात्राओं के बीच भी आप अत्यंत लोकप्रिय रहे तथा आपने उन्हें सदैव मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। महाविद्यालय परिवार आपकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है तथा आपके स्वस्थ, सुखमय एवं सफल सेवानिवृत्त जीवन की मंगलकामनाएँ करता है। कार्यक्रम मे प्राचार्य डॉ रविशंकर नाग, अजय बाबा पाण्डेय व समस्त स्टॉफ की उपस्थिति रही।

प्रस्फुटन शक्ति संचय कार्यक्रम विकास खंड स्तरीय मासिक बैठक सह प्रशिक्षण सम्पन्न

सिवनी। स्वतंत्र मत। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् विकास खंड घंसौर जिला सिवनी द्वारा प्रस्फुटन शक्ति संचय कार्यक्रम के तहत विकास खंड स्तरीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत घंसौर के सभा कक्ष में किया गया। सर्व प्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ म.प्र जन अभियान परिषद् की ब्लाक मधुबाला चौरसिया, सामाजिक न्याय विभाग की ब्लाक समन्वयक श्रीमति नेहा कुमरे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कविता रानू चौरसिया,जनपद पंचायत से संगीता चतुर्वेदी, नवांकुर संस्थाये, परामर्शदाता, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में मां सरस्वती जी का पूजन-अर्चन कर किया गया।

पूजन के पश्चात उपस्थित अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। ब्लाक समन्वयक द्वारा प्रस्फुटन शक्ति संचय विकास खंड स्तरीय बैठक सह प्रशिक्षण के एजेंडे में बतलाया गया कि प्रस्फुटन समितियों की समीक्षा के साथ अग्रिम कार्ययोजना में स्वैच्छिकता पर्व, नवांकुर सखी कार्यक्रम, हर घर तिंरगा अभियान,एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम नवांकुर संस्थाओ और प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर किया जाना है। सामाजिक न्याय विभाग से श्रीमती नेहा कुमरे जी द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नशा मुक्ति अभियान पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी गई।

लखनादौन नगर परिषद की सार्वजनिक सूचना जारी, थोक कचरा उत्पादकों के लिए नए नियम लागू

सिवनी। स्वतंत्र मत। लखनादौन, नगर परिषद लखनादौन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत सार्वजनिक सूचना जारी कर नगर सीमा क्षेत्र में आने वाले थोक कचरा उत्पादकों के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। जारी सूचना के अनुसार, ऐसे भवन या संस्थान जिनका क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर या अधिक हो, या जो प्रतिदिन 4 लाख लीटर पानी की खपत करते हों अथवा 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक कचरा उत्पन्न करते हों, उन्हें थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाएगा।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरघाट के नेतृत्व में अघोषित एवं घोषित बिजली कटौती के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन

स्वतंत्र मत। बरघाट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरघाट के नेतृत्व में आज बरघाट ब्लॉक, उप तहसील गंगेरूवा एवं संपूर्ण बरघाट विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेसजनों ने एकत्रित होकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से बरघाट विधानसभा क्षेत्र में हो रही बिजली संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अनावश्यक एवं बार-बार की जा रही बिजली कटौती तत्काल बंद करने की मांग की।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बरघाट क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली के खंभों के तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं का बिजली बिल जमा न होने पर तत्काल बिजली कट जाती है, जबकि बिल जमा कराने के बाद पुनः विद्युत कनेक्शन जोड़ने के नाम पर ?340 की अतिरिक्त राशि वसूली जाती है, जो पूरी तरह अनुचित एवं जनविरोधी है।

कांग्रेस ने कहा कि इन समस्याओं के कारण किसान, आम नागरिक, छात्र-छात्राएं, व्यापारी एवं अन्य उपभोक्ता भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि क्षेत्र की समस्त विद्युत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए तथा आम जनता को राहत प्रदान की जाए। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज रहांगडाले,पूर्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, जिला कांग्रेस महासचिव अनिल मर्सकोले, सभापती राहुल उइके, सुनिल पंचेश्वर सरपंच खारी, सिल्वेंद्र मयान ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष अनिल राउत, मंडलम अध्यक्ष साजिद सज्जू खान जी, मंडलम अध्यक्ष शिव मर्सकोले, आरिफ खान बोरी, दाऊद इब्राहिम, कृष्णाकांत दुबे, दिलीप राहंगडाले महामंत्री, ताकत सिंह ठाकुर, लेखराम मात्रे जनपद सदस्य, सुनील पंद्रे मंडलम अध्यक्ष आष्टा, दामोदर दोनारकर वरिष्ट कांग्रेस नेता, अफसर खान, संतोष ठाकुर अध्यक्ष वन प्रकोष्ठ, रमेश ठाकरे युवा नेता, खरीराम चौधरी ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष, धर्मचंद रहांगडाले धारणा, आसिफ बबलू खान बरघाट, मनोज गौतम जेवनारा, लाल सिंह सिरसाम, विष्णु परिहार खुट, चंद्रप्रकाश गौतम गोरखपुर, हर्ष गुप्ता बरघाट, जक्की खान बोरी, श्रवन बिसेन पूर्व मंडलम अध्यक्ष, के के इनवाती, जितेंद्र छोटू महाराज, मुजम्मिल तईब खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता गण एवं आम जन उपस्थित रहे।

अमानक उर्वरक पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई

कंपनी प्रतिनिधि सहित संबंधितों पर एफआईआर दर्ज

सिवनी। स्वतंत्र मत। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले में अवैध एवं अमानक उर्वरकों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गठित जिला स्तरीय दल ने गुप्त सूचना के आधार पर केवलारी विकासखंड के पलारी चौराहा स्थित संगम पैलेस मैरिज गार्डन में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अमानक उर्वरक जब्त किया। सहायक संचालक कृषि एवं उर्वरक निरीक्षक पवन कुमार कौरव ने जिला परामर्शदाता मुकेश मीणा तथा कृषि विस्तार अधिकारी अंशिवराज मालाघरे के साथ मौके पर जांच की। जांच में 240 बोरी 12.32.06 उर्वरक का अवैध परिवहन एवं विक्रय किया जाना पाया गया। यह उर्वरक भारद्वाज फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर (धार) का था, जिसे अरुण ठाकुर, मयंक ठाकुर एवं अंकित ठाकुर द्वारा अवैध रूप से परिवहन एवं विक्रय किया जा रहा था। दल ने तत्काल संपूर्ण उर्वरक जब्त कर उसे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, केवलारी में सुरक्षित भंडारण के लिए रखवाया तथा नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त उर्वरक गंभीर रूप से अमानक पाया गया। इसके आधार पर उर्वरक निरीक्षक श्री

पवन कुमार कौरव ने थाना केवलारी में संबंधित व्यक्तियों के साथ भारद्वाज फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर (धार) के प्रतिनिधि समीर अली सैयद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें तथा खरीद का पक्का बिल अवश्य लें।

कलेक्टर ने सिद्धघाट समूह नल-जल योजना का किया निरीक्षण, जल गुणवत्ता एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सिवनी। स्वतंत्र मत। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने गुरुवार को सिद्धघाट समूह नल-जल योजना के अंतर्गत संचालित जल शोधन संयंत्र का विस्तृत निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल स्रोत से लेकर जल शोधन, भंडारण एवं वितरण तक की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से प्रत्येक चरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संयंत्र की कार्यप्रणाली, मशीनों की संचालन क्षमता, फिल्ट्रेशन यूनिट, क्लोरीनेशन प्रणाली, पंप हाउस, कंट्रोल रूम, विद्युत बैकअप तथा रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से 91 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, प्रतिदिन की जलापूर्ति, वितरण नेटवर्क, ओवरहेड टंकियों के संचालन, पाइपलाइन व्यवस्था, जलापूर्ति के समय निर्धारण तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना से जुड़े सभी ग्रामों में नियमित, निर्बाध एवं समान रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी

की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती मीना ने जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने नियमित रूप से की जा रही वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया तथा विभिन्न गुणवत्ता मानकों की जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने मौके पर ही अपने समक्ष जल का सैंपल लेकर उसकी जांच कराई तथा परीक्षण की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से जल गुणवत्ता परीक्षण की आवृत्ति, सैंपलिंग प्रक्रिया, जांच में प्रयुक्त उपकरणों तथा रिपोर्ट संधारण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए गुणवत्ता एवं जलापूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने जल शोधन संयंत्र के रखरखाव, आवश्यक रसायनों की उपलब्धता, मशीनों के नियमित संचालन, विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था की भी समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि मानसून के दौरान विशेष सतर्कता रखते हुए जल स्रोत, शोधन प्रक्रिया एवं वितरण व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जाए, ताकि योजना से जुड़े सभी 91 ग्रामों के नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध होता रहे। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री नीलमणी अग्निहोत्री, कार्यपालन यंत्री श्री पी. एन. नाग सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।